भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1373
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

देश की बेरोजगारी दर

1373. डा. अमी याज्ञिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार जून में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80 प्रतिशत हो गई है, जिसमें मुख्य रूप से 13 मिलियन रोजगार कृषि क्षेत्र में गए हैं;

(ख) क्या उच्च बेरोजगारी दर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या गैर-लॉकडाउन वाले महीनों के दौरान रोजगार में यह सबसे बड़ी गिरावट है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान क्रमश: 5.8%, 4.8% और 4.2% थी। यह बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृति को दर्शाती है।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्रों में कामगारों का अनुमानित प्रतिशत क्रमशः 42.5%, 45.6% और 46.5% था, जो कृषि क्षेत्र में कामगारों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। .

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)	ग्रामीण में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (% में)
2018-19	5.0	48.9
2019-20	3.9	53.3
2020-21	3.3	55.5

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति और दूसरी ओर, कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो रोजगार में वृद्धि का संकेत देती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का विवरण अनुबंध में है।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 47.3%, 50.9% और 52.6% था, यह रोजगार में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 28.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	बेरोजगारी दर (% में)
आंध्र प्रदेश	4.1
अरुणाचल प्रदेश	5.7
असम	4.1
बिहार	4.6
छत्तीसगढ	2.5
दिल्ली	6.3
गोवा	10.5
गुजरात	2.2
हरियाणा	6.3
हिमाचल प्रदेश	3.3
झारखंड	3.1
कर्नाटक	2.7
केरल	10.1
मध्य प्रदेश	1.9
महाराष्ट्र	3.7
मणिपुर	5.6
मेघालय	1.7
मिजोरम	3.5
नागालैंड	19.2
ओड़िशा	5.3
पंजाब	6.2
राजस्थान	4.7
सिक्किम	1.1
तमिलनाडु	5.2
तेलंगाना	4.9
त्रिपुरा	3.2
उत्तराखंड	6.9
उत्तर प्रदेस	4.2
पश्चिम बंगाल	3.5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.1
चंडीगढ़	7.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.2
जम्मू और कश्मीर	5.9
लद्दाख	2.9
लक्षद्वीप	13.4
पुडुचेरी	6.7
अखिल भारत	**4.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई